रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2013/भाद्र 7, 1935

No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2013/BHADRA 7, 1935

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 580(अ).—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को जिनको केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अगर-अगर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना है जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसे किसी आरोप और सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से, उपर कथित अवधि के भीतर प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

आक्षेप या सुझाव, यदि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में यदि कोई हो, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, एन.एच.-4, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को भेज सकते हैं ।

प्रारूप नियम

1 **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अगर–अगर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2013 है।

(2) ये नियम रोडेफिसे प्रजाति की जातियां जैसे कि गेलिडियला और ग्रेसिलेरिया के वर्ग की लाल फंगस से प्राप्त अगर–अगर पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 **परिभाषाएंः** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत हैं;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन श्रेणी मानकों और विहित प्रकिया के अनुसार अगर–अगर का श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण–पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को अगर–अगर का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं;

(ड) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 5 में विनिर्दिष्ट एगमार्क अधिचिह्न अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन श्ब्दों और पदो के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और उक्त नियमों में है।

3. **श्रेणी अभिधानः** अगर–अगर को दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 के सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **क्वालिटीः** इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अगर–अगर की क्वालिटी अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

5. **श्रेणी अभिधान चिह्नः** श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण पत्र की संख्या, "एगमार्क " शब्द वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में दिए गए डिजाइन के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करते हुए डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्राधिकार चिह्न" होगा।

6. **पैकिंग करने की पद्धतिः** (1) अगर–अगर की पैकिंग नये, ठोस और फूड ग्रेड के साफ प्लास्टिक आधानों, टिन आधानों पोलीथीन लाइनिंग सहित कागज के कार्टूनों, पटलित पोलीईथाइलीन अथवा प्रोलीप्रोपाइलीन अथवा उच्च सघनता पोलीईथाइलीन थैलों अथवा पाउचों या जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य किसी खाद्य श्रेणी सामग्री में पैक किया जाएगा।

(2) पैकिंग सामग्री कीटों या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और अन्य विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या उत्पाद के सुवास से मुक्त होगी।

(3) अगर–अगर की पैकिंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठित उपखंड (1) के अधीन बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार पैक आकारों में अथवा विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

(4) समान लॉट या बैच के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री और श्रेणी को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ बड़े आधान में पैक किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार के तथा समान श्रेणी अभिधान के अगर–अगर होंगे।

(6) प्रत्येक पैकेज को सुरक्षित रूप से बंद और मोहर बंद किया जाएगा जिससे उसके अन्य संदूषण को रोका जा सके।

7. **चिह्नांकन की विधि**: (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक लेबल या पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नांकित की जाएगी, अर्थातः–

(क) वस्तु का नाम;
(ख) श्रेणी;
(ग) किस्म या व्यापार नाम (वैकल्पिक);
(घ) लॉट संख्या;
(ङ.) पैकिंग की तारीख;
(च) पैकिंग के स्थान का पता;
(छ) शुद्ध भार;
(ज) पैकर का नाम और पता;
(झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);
(ञ) मास......................वर्ष .... से पूर्व उपभोग के लिए सर्वोत्तम;

(ट) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2009 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) में प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसरण में इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट कोई अन्य विवरण।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी होगी जो अगर–अगर को संदूषित न कर सके।

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के नियम 11 के अनुसार पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, जो इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।

8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें**: (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट सभी अन्य अनुदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत पैकर अगर–अगर की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या संगम प्रयोगशाला या निजी वाणिज्यिक प्रयोगशाला के साथ सम्पर्क करेगा;

(3) परिसरों को स्वास्थप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन तथा अच्छे प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा। इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;

(4) परिसरों में पक्के फर्श वाली पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होगी और वे कृन्तक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे;

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी द्वारा इस निमित्त समय–समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची–1
(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)

वस्तु का नाम...

श्रेणी...

अनुसूची–2

(नियम 3 और 4 देखिए)

अगर–अगर की अभिधान और क्वालिटी

1. अगर–अगर एक सूखा हुआ हाईड्रोफिलिक, कोलोइडल पदार्थ है जो कि लाल शैवाल रोडेफीसे प्रजाति से प्राप्त होता है, जैसे कि गेलिडियला जाति और ग्रेसिलेरिया जाति तथा यह गठ्ठरों जिसमें पतली झिल्ली पट्टी होती हैं तथा कटे, शल्क रूप में तथा दानेदार और चूर्ण रूप में मिलता है तथा मानव उपभोग हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं : (i) अगर–अगर–

(क) बिना रंग के, सफेद से पीले रंग के होंगे;

(ख) सुगन्ध से मुक्त अथवा जिसमें हल्की अभिलक्षित गंध और गोंद के स्वाद के होंगे;

(ग) शीतल जल में अघुलनशील लेकिन उबले पानी में घुलनशील होंगे;

(घ) रासायनिक, कृत्रिम रंग, विरंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;

(ङ.) कृंतक बाल और विष्ठा से मुक्त होंगे;

(च) जीवित और मृत कीटों, कीट विखंडन, परजीवी से मुक्त होंगे;

(छ) अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होंगे;

(ii) घरेलू व्यापार के लिए, अगर–अगर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (सदूषक, टॉक्सिन और अपशिष्ट) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट धात्विक संदूषकों के अपशिष्ट, कीटनाशक और नाशीजीवमार अवशेषों, जीवाणु संबंधी अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले टॉक्सिक पदार्थों तथा अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधित अपेक्षाओं के निर्बंधनों का अनुपालन करेगा।

(iii) अगर–अगर में भारी धातुओं, नाशीजीवमार के अपशिष्ट सीमा तथा कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग द्वारा यथा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं या निर्यात के लिए आयातक देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

सारणी

3. अगर–अगर के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी के लिए मापदंडः

श्रेणी अभिधान	जल अवशोषण (न्यूनतम)	आद्रता, शुष्क आधार पर द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	कुल भष्म, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	अम्ल में अघुलनशील भष्म, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	जल में अघुलनशील पदार्थ, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत (अधिकतम)	जिलेटिन	स्टार्च और डैक्सट्राईन्स
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष	इसके भार के 5 गुणा	18	6.0	0.3	1.0	पता नहीं लगने योग्य*	पता नहीं लगने योग्य **
मनक	इसके भार के 5 गुणा	20	6.5	0.5	1.0	पता नहीं लगने योग्य	पता नहीं लगने योग्य

* लगभग 1 ग्राम सामग्री को 100 मि.ली. उबले पानी में घोला जाए और 5 मि.ली. के मिश्रण को लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तथा 5 मि.ली. ट्राईनाइट्रोफिनोल मिलाया जाए। तत्पश्चात 10 मिनट तक कोई भी गंदगी नहीं दिखेगी।

** सामग्री का 0.5 प्रतिशत जलीय घोल तैयार करें, 40 डिग्री सेल्सियस तक इसे गर्म करें और घोल में 2 बूंद आयोडिन मिलाए । जहां बूंद गिरेगी वहां लाल–बैंगनी रंग दिखेगा। मिलाने पर, घोल सोने जैसा ब्राउन बन जाएगा और नीला या लाल रंग नहीं बनेगा।

4. अन्य अपेक्षाएंः

(i) अगर–अगर की दशा ऐसी होगी ताकि वह
(क) परिवहन और हथालन को सह सके; और
(ख) अपने अंतव्य स्थान पर संतोषप्रद दशा में पहुंच सके।

(ii) अगर–अगर का भंडारण ठंडे और शुष्क स्थान पर किया जाएगा, उसे स्वच्छ और स्वास्थप्रद दशा में रखा जाएगा।

[फा. सं.18011/1/2013–एम-II]

नरेंद्र भूषण, संयुक्त सचिव (विपणन)

3737 GI/13-2

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-Operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2013

G.S.R. 580(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act,1937 (1 of 1937) and in supersession of the Agar Agar Grading and Marking Rule,1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, is hereby published, as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the above said period shall be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestion, if any, in respect of the said draft rules may be forward to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH-IV, Faridabad (Haryana)- 121001.

DRAFT RULES

1. **Short title, application and commencement.** - (1) These rules may be called the Agar Agar Grading and Marking Rules, 2013.

(2) They shall apply to Agar Agar extracted from red algae of the class *Rhodophyceae, such as Gelidiella* species and *Gracilaria* species.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a Certificate of Authorisation to grade and mark Agar Agar in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Agar Agar with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "grade designation mark" means the Agmark insignia referred to in rule 5;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937(1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and the said rules.

3. **Grade designations**. - The grade designations to indicate the quality of Agar Agar shall be as set out in column 1 of the Table in Schedule II.

4. **Quality**. - For the purposes of these rules, the quality of Agar Agar shall be as specified in Schedule II.

5. **Grade designation mark**. - The grade designation mark shall be "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the Certificate of Authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule I.

6. **Method of packing**.- (1) Agar Agar shall be packed in new, sound and clean plastic containers of food grade, tin containers, paper cartons with polythene lining, laminated polyethylene or polypropylene or high density polyethylene bags or pouches or any other food grade material approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packing material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Agar Agar shall be packed in pack sizes as per the provisions in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) or as per the instructions issued by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Agar Agar of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to preclude any contamination.

7. **Method of Marking**.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely :-

(a) Name of the commodity;
(b) Grade;
(c) Variety or trade name (optional);
(d) Lot number;
(e) Date of packing;
(f) Address of the place of packing;
(g) Net weight;
(h) Name and address of the packer;
(i) Maximum retail price (inclusive of all taxes);
(j) Best before__________month______year;
(k) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 made under sub-section (1), read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), any other law being in force or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Agar Agar.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages which do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. **Special conditions of Certificate of Authorization.** - (1) In addition to the conditions specified in the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall follow all the instructions specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Agar Agar.

(3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations should be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The authorised packer shall have storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the aforesaid approved chemist shall comply with all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time.

Schedule I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)

Name of commodity____________________

Grade____________________________

Schedule II
(See rules 3 and 4)

Grade designation and quality of Agar Agar

1. Agar Agar is dried hydrophilic, colloidal substance extracted from red algae of the class *Rhodophyceae,* such as *Gelidiella* species and *Gracilaria* Species and it may be in the form of bundles consisting of thin membranous strips or in cut, flaked, granulated or powdered form for human consumption.

2. **Minimum requirements**: (i) Agar Agar shall be –

(a) colourless, white to pale yellow in colour;
(b) either odourless or having slight characteristic odour and mucilaginous taste;
(c) insoluble in cold water but soluble in boiling water;
(d) free from traces of chemicals, artificial colouring, bleaching matter;
(e) free from rodent hair and excreta;
(f) free from living and dead insects, insect fragments, parasites;
(g) free from any foreign matter.

(ii) Agar Agar shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, made under the Food Safety and Standards Act,2006 (34 of 2006), for domestic trade.

(iii) Agar Agar shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

TABLE

3. Criteria for grade designation and quality of Agar Agar:

Grade designation	Water absorption (minimum)	Moisture, per cent. by mass on drying (maximum)	Total ash, per cent. by mass (maximum)	Acid insoluble ash, per cent. by mass (maximum)	Water insoluble matter, per cent. by mass (maximum)	Gelatin	Starch and dextrines
1	2	3	4	5	6	7	8
Special	5 times of its weight	18	6.0	0.3	1.0	Not detectable*	Not detectable**
Standard	5 times of its weight	20	6.5	0.5	1.0	-do-	-do-

* Dissolve about 1 g of the material in 100 ml of boiling water, and allow to cool to about 50°C. To 5 ml of the solution, add 5 ml of trinitrophenol. No turbidity shall appear within 10 minutes.

**Prepare 0.5 percent aqueous solution of the material, warm it to 40°C and add 2 drops of iodine solution. Where the drops fall a red-voilet colour shall appear. On mixing, the solution shall become golden brown and not blue or reddish in colour.

4. Other requirements:

(i) The condition of the Agar Agar shall be such so as to enable it -

(a) to withstand transport and handling; and

(b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Agar Agar shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No.18011/1/2013-M-II]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy. (Marketing)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.